निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1939 (श0)

(सं0 पटना 484) पटना, वृहस्पतिवार, 1 जून 2017

सं0 ल0ज0सं0/बजट (अनुपूरक)–45/16—1892
लघु जल संसाधन विभाग

संकल्प
5 मई 2017

लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कुल नलकूपों की संख्या 10,242 है। वर्त्तमान में कुल 4990 नलकूप चालू अवस्था में है। विभाग अन्तर्गत नलकूप चालकों की काफी कमी है। राज्य सरकार बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने एवं चालू नलकूपों का सफल संचालन एवं रख–रखाव हेतु कृत संकल्पित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजकीय नलकूपों के हस्तांतरण, रख–रखाव एवं संचालन हेतु एक कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् हैः–

(1) नलकूपों के हस्तांतरण/ संचालन एवं रख–रखाव हेतु व्यक्ति/ समिति/ संगठन/ संस्था के चयन हेतु चयन समिति का गठन :–

नलकूपों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु इनका हस्तांतरण कमांड क्षेत्र के राजस्व ग्राम में पड़ने वाले किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/संगठन/कृषकों की पंजीकृत संस्था/ जीविका समूह/पैक्स/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन तथा ग्राम पंचायत को किया जायेगा। इनके चयन हेतु निम्नांकित चयन समिति गठित की जायेगी :–

(क)	संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित अवर प्रमण्डल के सहायक अभियन्ता	सदस्य सचिव
(ग)	संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	सदस्य
(घ)	संबंधित कनीय अभियन्ता	सदस्य
(ड़)	संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	सदस्य
(च)	संबंधित प्रखंड (पंचायत समिति) के प्रमुख	सदस्य

(2) व्यक्ति/व्यक्ति समूह/ संस्था/ संगठन इत्यादि के चयन हेतु अर्हता :–

(क) शैक्षणिक योग्यता :– मैट्रीक या समकक्ष उत्तीर्ण (एक से अधिक व्यक्तिगत उम्मीदवारों की स्थिति में मैट्रीक या समकक्ष में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जायगा)।

(ख) आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 तक की मान्य होगी। उम्र का सत्यापन मैट्रीक के प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(ग) आवेदक कमांड क्षेत्र या कमांड क्षेत्र के राजस्व ग्राम का निवासी होगा। उम्मीदवार को आवास प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) आवेदक पर यदि किसी प्रकार का अपराधिक मामला/ कदाचार का वाद दर्ज होगा तो उसका चयन नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को संबंधित थाना से स्वच्छता प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

(3) उम्मीदवार के चयन हेतु सिंचाई कमांड क्षेत्र के गांवों में सार्वजनिक जगहों यथा स्कूल/डाकघर/ पंचायत भवन/सामुदायिक भवन/अस्पताल के सूचना पट पर सूचना प्रदर्शित कर इच्छुक व्यक्तियों/संस्था/ संगठन/समिति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(4) आवेदन पत्रों की जांच चयन समिति द्वारा की जायेगी। मैट्रीक के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर व्यक्तिगत उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। मैट्रिक का प्राप्तांक समान होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायगी।

(5) जीविका समूह/पैक्स/गैर सरकारी संगठन/कृषकों की पंजीकृत संस्था वगैरह का आवेदन मात्र ही चयन का आधार होगा।

(6) चयन में जीविका समूह को प्राथमिकता दी जायगी। जीविका समूह के भाग नहीं लेने की स्थिति में पैक्स/गैर सरकारी संगठन/व्यक्ति समूह को प्राथमिकता दी जायगी।

(7) यह चयन दो वर्षों के लिए होगा। नलकूप का संचालन एवं रख–रखाव के साथ ही किसानों को सिंचाई सुविधा संतोषजनक प्रदान किये जाने पर उम्मीदवारों का चयन अगले दो वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा तथा इसी प्रकार आगे भी प्रकिया अपनायी जायेगी।

(8) आमंत्रित सभी आवेदनों के आधार पर एक पंजी में आवेदक का नाम, जन्म–तिथि, योग्यता एवं पूरा पता के साथ प्राप्तांक का उल्लेख किया जायेगा।

(9) चयनित व्यक्ति/ संस्था/ समिति/ संगठन के द्वारा एक मुश्त राशि 10,000.00 (दस हजार) रूपये मात्र अग्रधन (Security Money) के रूप में जमा करना होगा।

चयनित व्यक्ति/ संस्था/ समिति/ संगठन के द्वारा संबंधित नलकूपों के संचालन एवं रख–रखाव में डिफॉल्टर होने अथवा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में अनियमितता बरते जाने पर उनका चयन रद्द कर दिया जायेगा तथा एक मुश्त जमा की गयी अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी।

(10) एक मुश्त जमा अग्रधन (Security Money) राशि का संधारण संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा राजकीय कोष में उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार निविदा प्रकिया में चयनित संवेदक से प्राप्त Security Money का किया जाता है। अग्रधन के रूप में एन0एस0सी0 (N.S.C.) 08 वां निर्गम अथवा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट स्वीकार किया जायेगा, जो कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल के नाम प्रतिश्रुत (Pledged) होना चाहिए।

(11) चयनित उम्मीदवार के द्वारा संबंधित नलकूप का संचालन एवं रख–रखाव पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। इसके लिए एक पंजी (Ledger Book) संधारित की जायेगी, जिसमें किसानों का नाम, पिता का नाम, ग्राम, प्रखण्ड सिंचित खेत की मापी, समय तथा उनसे प्राप्त पटवन की राशि का उल्लेख होगा।

(12) संचालक को सिंचित क्षेत्र से राजस्व वसूली का अधिकार होगा। पटवन की दर उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए निर्धारित दर के बराबर होगी। पटवन दर का निर्धारण संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायगा। इस समिति में जिला के कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, कार्यपालक अभियंता (सिंचाई सृजन) जल संसाधन विभाग तथा जिला कृषि पदाधिकारी सदस्य होंगे।

(13) चयनित व्यक्ति/ व्यक्ति समूह/ संस्था/ समिति / संगठन के द्वारा पटवन से प्राप्त आय से नलकूपों का संचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा। आय–व्यय का लेखा भी एक पंजी में संधारित होगी, जिसका विभाग द्वारा अंकेक्षण किया जायेगा। चयनित नलकूप संचालक को राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से बचत खाता खोलना होगा तथा पटवन से प्राप्त आय को बचत खाता में जमा करना होगा। ब्याज से प्राप्त राशि भी आय मानी जायेगी।

(14) सभी प्रकार की मरम्मति एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय संचालक द्वारा स्वयं किया जायेगा। बिजली विपत्र का भुगतान भी संचालक द्वारा ही किया जायेगा।

(15) चयनित व्यक्ति, व्यक्ति समूह, संस्था या संगठन के साथ वर्ष में तीन बार (फसल शुरू होने के पूर्व) कार्यपालक अभियन्ता या उनके द्वारा अधिकृत सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता द्वारा बैठक की जायेगी, जिसमें नलकूप प्रणाली के संचालन, रख–रखाव की समीक्षा की जायेगी।

(16) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ कनीय अभियन्ता सिंचाई क्षेत्र तथा लेजर पंजी का निरीक्षण करेंगे तथा प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता को देंगें।

(17) चयनित नलकूप संचालक को खरीफ, रब्बी तथा गरमा मौसम में प्रति माह सिंचाई प्रतिवेदन, अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में देना होगा।

(18) चयनित नलकूप संचालक, नलकूप संचालन तथा रख–रखाव हेतु संबंधित कनीय अभियन्ता से तकनीकी सहयोग आवश्यकतानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

(19) चयनित संचालक को संबंधित लघु सिंचाई प्रमण्डल द्वारा तीन दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(20) कार्यपालक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता द्वारा भी समय–समय पर नलकूप संचालन व्यवस्था का निरीक्षण किया जायेगा।

(21) संचालन व्यवस्था पर शिकायत का निवारण कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

(22) नलकूप संचालन व्यवस्था में गड़बड़ी साबित होने पर उसके हटाने तथा दूसरा संचालक चयन करने हेतु चयन समिति की बैठक कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा आयोजित की जायेगी।

(23) अधीक्षण अभियन्ता वर्ष में कम–से–कम तीन बार (फसल प्रारम्भ होने के पूर्व) कार्यपालक अभियन्ता के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा संचालन व्यवस्था की प्रगति प्रतिवेदन मुख्य अभियन्ता तथा अनुश्रवण को देंगे।

(24) मुख्य अभियन्ता के स्तर से भी वर्ष में कम–से–कम दो बार कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के साथ समीक्षात्मक बैठक की जायेगी तथा प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

(25) विभागीय स्तर पर वर्ष में दो बार संचालन व्यवस्था की समीक्षा प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में की जायेगी।

(26) समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में सूचना संचालक द्वारा संबंधित सहायक अभियंता को दी जायेगी।

(27) समय–समय पर सरकार तथा विभाग द्वारा निर्गत निर्देश अनुमान्य होगा।

(28) संचालन व्यवस्था को समाप्त करने या संशोधन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 484-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in